



पत्र सं- 2106

/वा०नि०-5/4/बी.एस.-2/5/सि०वि०यो०/

दिनांक- 20/07/26

उपरो आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत

क्रय योग्य एफ.ए.आर. सहित मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मैसर्स सेम्स रियल स्टेट प्रा०लि०,

पता- 309, तृतीय तल, सेलकॉम औरम टावर,

जसोला डिस्ट्रीक सेन्टर, नई दिल्ली-110025

विषय:- परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित बल्कसेल भूखण्ड संख्या- 4/बी.एस.-2/5(जी.एच.5) का क्रय योग्य एफ.ए.आर. सहित मानचित्र की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि आपके आवेदन दिनांक-28.02.2026 के माध्यम से बल्कसेल भूखण्ड संख्या- 4/बी.एस.-2/5(जी.एच.5), सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के क्रय योग्य एफ.ए.आर. का प्रस्ताव क्रय योग्य एफ.ए.आर. समिति की बैठक दिनांक- 08.05.2026 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा बेसिक एफ०ए०आर० 2.50 के अतिरिक्त 2.20 क्रय योग्य एफ.ए.आर. प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त के क्रम में आवेदन संख्या- UPAVP/BP/26-27/0264 के माध्यम से प्राप्त आपका मानचित्र प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त स्वीकृति हेतु उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक- 29.05.2026 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:-

1. क्रय योग्य एफ०ए०आर० के मद में आगणित कुल धनराशि रु 50.23,29,600/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि 12,55,82,400/- एक मुस्त जमा किये जाने तथा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रु 37,67,47,200/- का परिषद नियमानुसार किस्तों का निर्धारण एवं अवशेष धनराशि के सापेक्ष 7387.20 वर्ग मी० भूमि बन्धक किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. विकास शुल्क नियमावली 25 अप्रैल 2026 (तृतीय संशोधन) के अनुसार विकास शुल्क के मद में आगणित धनराशि रु 8,98,69,205/- के सापेक्ष लगभग 35 प्रतिशत धनराशि रु 3,15,33,055/- एक मुस्त जमा किये जाने तथा अवशेष लगभग 65 प्रतिशत धनराशि रु 5,83,36,150/- का परिषद नियमानुसार किस्तों का निर्धारण एवं अवशेष धनराशि के सापेक्ष 1144.0 वर्ग मी० भूमि बन्धक किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. बिन्दु संख्या- 2 के सम्बन्ध में आवंटी के प्रत्यावेदन दिनांक- 20.05.2026 के क्रम में विकास शुल्क नियमावली 24 अप्रैल 2026 (तृतीय संशोधन) पर भविष्य में मार्गदर्शन / स्पष्टता हेतु प्राप्त अभिमत के अनुसार अनुपालन के अन्यथा प्राप्त धनराशि को भूमि के सापेक्ष देय किस्त / अन्य मदों में समायोजित किया जा सकेगा। विकास शुल्क के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक-931/सी.ए.पी./2026 दिनांक- 18.03.2026 एवं अनुस्मारक पत्रांक- 1370 दिनांक- 11.05.2026 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन

7.16/26

अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को मार्गदर्शन / अभिमत हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, प्राप्त अभिमत के अनुसार अनुपालन किया जाना होगा।

4. EWS एवं LIG के सापेक्ष नियमावली के अनुसार कुल भूखण्ड का 10 प्रतिशत 2850.0 वर्ग मी० एवं आवंटन पत्र के शर्तों के अनुसार भूमि मूल्य के सापेक्ष कुल भूखण्ड का 25 प्रतिशत 7125.0 वर्ग मी० भूमि बन्धक किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. आवंटी / विकासकर्ता द्वारा कुल निर्माण क्षेत्रफल 245047.384 वर्ग मी० के सापेक्ष मानचित्र स्वीकृति शुल्क के मद में कुल आगणित धनराशि रु० 2,38,14,074/- जमा किये जाने तथा मलबा शुल्क के मद में रु० 1,17,62,275/- का एफ.डी.आर मानचित्र स्वीकृति से पूर्व खण्ड कार्यालय में जमा किये जाने का निर्णय लिया गया।
6. आवंटी / विकासकर्ता द्वारा समस्त शुल्क एवं प्रपत्रों सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने की दशा में उपरोक्त शर्तों के अधीन मानचित्र ऑनलाईन निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी।

उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में मानचित्र स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन संख्या- UPAVP/BP/26-27/0264

निम्न शर्तों सहित मानचित्र स्वीकृत किया जाता है:-

1. आवंटी द्वारा निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. यह स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि 05 वर्ष की होगी। (दिनांक...20.12.26... से 19.12.31.... तक)
3. यह स्वीकृति 28500.0 वर्ग मी० क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बेसिक एफ०ए०आर० 2.50 के अतिरिक्त 2.16 क्रय योग्य एफ.ए.आर., ग्रीन बिल्डिंग एवं इन्सेन्टिव एफ.ए.आर. सहित कुल निर्माण क्षेत्रफल 245047.38 वर्ग मी० हेतु निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है। जिसके अन्तर्गत टावरों का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	टावर का नाम	तलों की संख्या	फ्लैटों की संख्या	बिल्टप एरिया (वर्ग मी०)
1	टावर-1	(2बी + भूतल (स्टिल्ट / पोर्डियम) + 36 तल)	104	32895.96
2	टावर-2 एवं बल्कसेल कम्युनिटी	(2बी + भूतल + 36 तल)	104	32001.27 + 565.46 = 32566.73
3	टावर-3	(2बी + भूतल + 36 तल)	178	31953.30
4	टावर-4	(2बी + भूतल (स्टिल्ट / पोर्डियम) + 38 तल)	147	36770.96
5	टावर-5	(2बी + भूतल (स्टिल्ट / पोर्डियम) + 40 तल)	192	35173.83
6	01 नग कॉमर्शियल (दुकानें/ रेस्टोरेंट / ऑफिसिस)	(2बी + भूतल + 10 तल)	--	7055.54

21/12/26





रोवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुविद नियोजक

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम

नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, इंदिरा नगर,

लखनऊ-226016



7	टावर- EWS & LIG	(2बी + भूतल + 29 तल)	73-73	9579.20
8	01 नग कम्युनिटी सेन्टर	(2बी + भूतल + 2 तल)	—	1511.21
9	स्कूल	(1बी + भूतल + 6 तल)	---	15685.77
10	पोडियम	---	---	7045.76
11	बेसमेन्ट 1 एवं बेसमेन्ट-2	---	---	15125.74 एवं 15778.74 = 30904.48
12	EWS & LIG टावर में पुलिस पोस्ट, यूरिनल एवं डब्लू.सी.	भूतल पर यूरिनल एवं डब्लू.सी. तथा प्रथम तल से चतुर्थ तल तक पुलिस पोस्ट	---	1520.36 + 53.13 + 666.27 = 2239.76
13	मीटर रूम, गार्ड रूम इत्यादि ---	---	---	7.5 + 23.94 + 211.12 + 471.26 + 298.12 + 86.07 + 497.38 + 69.49 = 1664.88
कुल योग			725 नग फ्लैट्स एवं उनके सापेक्ष वांछित 10-10 प्रतिशत EWS 73 नग व LIG 73 नग फ्लैट्स	245047.38

7/6/17

4. सम्पत्ति कार्यालय गाजियाबाद के पत्रांक-5655 दिनांक-10.07.2026 के माध्यम से बन्धक रखी गई भूमि का विवरण निम्नवत है:-

क्रं स	मद	किस्तों के निर्धारण हेतु अवशेष धनराशि	बन्धक रखी जाने वाली भूमि (वर्ग मी०)	मानचित्र में चिन्हांकित भूमि	मानचित्र में भूमि का हैच द्वारा दर्शाया गया रंग
1	क्रय योग्य एफ०ए०आर० के मद में अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि	37,67,47,200/-	7387.20	KLMNOP	लाल रंग
2	विकास शुल्क के मद में अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि	5,83,36,150/-	1144.0	NOQR	नीले रंग
3	EWS एवं LIG के सापेक्ष	कुल भूखण्ड का 10 % भूमि	2850.0	CDEFGHIJKL	हरे रंग
4	आवंटन पत्र की शर्त संख्या - 14 के अनुसार	भूमि मूल्य के सापेक्ष कुल भूखण्ड का 25 प्रतिशत भूमि	7125.0	ABCDEFGHIJ	पीले रंग

उक्त बंधक भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी ताकि विकासकर्ता द्वारा योजना का समस्त विकास एवं निर्माण कार्य एकीकृत एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित हो सके। बंधक रखी गयी भूमि के सापेक्ष शुल्कों की सम्पूर्ण धनराशि के संदाय के पश्चात बन्धक भूमि को निर्माचित कर दिया जायेगा। सम्पत्ति कार्यालय के पत्रांक-5707 दिनांक-14-07-2026 का अनुपालन किया जाना होगा।

- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-2, को निर्माणकार्य प्रारम्भ किये जाने की सूचना दिया जाना होगा। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड गाजियाबाद-2 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र में दर्शाया गये प्राविधानों के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
- आवंटी द्वारा शासनादेश के आलोक में तद्दिनांक तक कय योग्य एफ०ए०आर० शुल्क के मद में 25 प्रतिशत धनराशि जमा की गयी है जिसके फलस्वरूप क्रय योग्य एफ०ए०आर० का निर्माण बन्धक पत्र के अनुसार निर्धारित अद्यावधिक किशतों के परिषद कोष में जमा किये जाने की दशा में ही अनुमन्य होगा।
- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड गाजियाबाद- 2 के पत्रांक-1521/एम-22/433 दिनांक-08.07.2026 के माध्यम से मल्बा शुल्क के मद में धनराशि रु० 1,17,62,275/- की एफ.डी.आर. जमा होने की पुष्टि की गई है। जिसके पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गमन के समय खण्ड कार्यालय से पुष्टि उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।
- इन्सेन्टिव एफ०ए०आर० (क्षेत्रफल- 4745 वर्ग मी०)का उपयोग ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ही अनुमन्य होगा।
- ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का प्रथम आवंटन उक्त आय वर्गों के लाभार्थियों को आवास आयुक्त की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति, जिसमें जिलाधिकारी तथा विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे, के माध्यम से किया जायेगा।

7. Kalu



10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद के UDI No- UPFS/2026/197755/GZB/GHAZIABAD/10797 /CFO Dated 01.05.2026 द्वारा ऑन लाईन अनापति प्रमाण पत्र निर्गत है, जिसकी शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।
11. GRIHA Council के पत्र दिनांक-07.05.2026 के माध्यम से "FOUR STAR" GRIHA PRE-CERTIFICATE निर्गत है, जिसका शत प्रतिशत पालन आवंटित द्वारा किया जाना होगा।
12. भारतीय विमानन पतनम प्राधिकरण का अनापति प्रमाण संख्या -AI/RHQ/NR/ATM/NOC/2026/304 /1007-10 Dated- 27.02.2026 द्वारा 175.0 मी० की ऊँचाई तक निर्माण हेतु अनुज्ञा निर्गत है। हिण्डन एयरपोर्ट द्वारा निर्गत प्रस्तावित ऊँचाई हेतु अनापति प्रमाण-पत्र मानचित्र स्वीकृति से 06 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा।
13. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा जिसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
14. मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 के अनुसार कम से कम 50 पेड / हैक्टे० की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 के प्रस्तर-11 (संरचनात्मक सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण) एवं एन.बी.सी. में अंकित प्राविधानों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता / आपका होगा।
17. प्रश्नगत परियोजना के सापेक्ष पर्यावरण निदेशालय, खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वांछित अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए 06 माह के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में स्थल पर निर्माण कार्य रोक जा सकता है।
18. प्रश्नगत परियोजना के रेरा में पंजीकरण हेतु 03 माह में आवेदन आवश्यक रूप से किया जाना होगा।
19. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार या एफ.ए.आर. से सम्भावित वृद्धि के फलस्वरूप अनुवर्ती तलों सहित सम्पूर्ण भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन से विद्युत की कुल आंकलित माँग (किलोवाट / मेगावाट) हेतु अनापति प्रमाण पत्र 03 माह में प्रस्तुत किया जाना होगा।
20. प्रश्नगत भूखण्ड/फर्म के विरुद्ध उपश्रम आयुक्त/पंजीयन अधिकारी-उपकर, गाजियाबाद द्वारा वांछित धनराशि जमा कराते हुए पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या- D09030220/के०आर०भ०औ०अ०सन्नि०कर्म० दिनांक-20.05.2026 द्वारा निर्गत है, जिसके अनुसार स्थल पर निर्माण के सापेक्ष नियमतः समयान्तर्गत उपकर जमा कराया जाना होगा।
21. प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण पूर्ण होने के पश्चात मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 के परिशिष्ट-7 के अनुसार निर्धारित समयावधि से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
22. भूखंड पर भविष्य में निर्मित होने वाले टावरों के पूर्णता प्रमाण - पत्र हेतु स्थल पर ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों के समानुपातिक निर्माण होने की दशा व संपत्ति कार्यालय से भूमि के देयता संबंधी अध्यावधिक भुगतान व समय वृद्धि संबंधी आख्या प्राप्त होने की दशा में आवेदन किया जा सकेगा, अन्यथा की दशा में आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

2.10/24

23. विकासकर्ता को किसी भी टावर के पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत कराये बिना किसी भी टावर फ्लैट में अध्याशियों को कब्जा देने व अध्यासन कराए जाने की अनुमति नहीं होगी, जिसका अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित किए जाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता / अधीक्षण अभियंता की होगी।
24. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-2, गाजियाबाद द्वारा स्थल पर निर्माण उसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा जबकि आवंटी द्वारा प्रश्नगत भूमि के सापेक्ष परिषद को देय किशतों एवं अन्य मदों के सापेक्ष वांछित शुल्क का भुगतान अद्यावधिक किया जा रहा हो। उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण की दशा में निर्माण से पूर्व मानचित्र समयवृद्धि व सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, गाजियाबाद से समयवृद्धि प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
25. भवन निर्माण व उसके सापेक्ष ई०डब्ल्यू०एस० / एल०आई०जी० व सामुदायिक सुविधाओं के पूर्ण होने की दशा में आवंटी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
26. निर्धारित समयावधि में ही स्थल पर निर्माण कार्य हो सकेगा अन्यथा की दशा में निर्माण कार्य रोकने की कारवाई जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02 की होगी।
27. भूखंड के सापेक्ष देय धनराशि व समयवृद्धि इत्यादि के संबंध में समयान्तर्गत भुगतान सुनिश्चित करने की कारवाई संपत्ति प्रबंधक -गाजियाबाद द्वारा सुनिश्चित की जाए।
28. विकासकर्ता द्वारा 725 फ्लैटों के सापेक्ष 73 नग ई०डब्ल्यू०एस० व 73 नग एल०आई०जी० भवनों का स्थल पर क्रियान्वयन, रेरा पंजीकरण, चरणवार व समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
29. मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 के प्रस्तर 13.2.3.1 के अनुसार रूफटॉप पर सोलर फोटो वोल्टाईक पावर प्लान्ट की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी।
30. विकासकर्ता द्वारा परियोजना के सापेक्ष वांछित क्षमता का एस०टी०पी०, विद्युत सबस्टेशन एवं ट्यूबवेल (रिजर्व वाटर टैंक) सहित अन्य सुविधाओं का प्राविधान स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
31. वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त निर्माण जारी रखने की दशा में नियमानुसार परिषद से मानचित्र की वैधता अवधि / समयवृद्धि प्राप्त की जानी होगी अन्यथा की स्थिति में परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
32. बल्कसेल नीलामी पुस्तिका में अंकित शर्तों का अनुपालन, क्रियान्वयन, निर्माण विकास एवं अनुरक्षण कार्यों में सुनिश्चित किया जाये। जिसके सम्बंध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
33. प्रश्नगत भूखण्ड पर शासनादेशों, परिषद आदेशों, मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स 2025, नेशनल बिल्डिंग कोड, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता(ई.सी.बी.सी.) एवं अन्य सम्बंधित नीति विषयक निर्णयों का शत प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
34. रेरा एवं अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 में अंकित समस्त नियम / शर्तों का अक्षरतः पालन करना होगा।
35. उपविधि-2025 के अध्याय-13 में अंकित समस्त पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
36. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुडकी के पत्रांक-IIT(BHU)/CE/MKP/2026-27/21 Dated-06-05-2026 के माध्यम से निर्गत वैटिंग प्रमाण-पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन / गणना प्रस्तुत किया गया है।

2.10.21





सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुविद नियोजक

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम

नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, इंदिरा नगर,

लखनऊ-226016



37. भूखण्ड/भूमि के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर कोई मार्ग अवरोध नहीं किया जायेगा। यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भूमि में हो रहे विकास कार्य से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उसे रोकने / हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
38. यदि भविष्य में सम्परीक्षण के दौरान उक्त भूखण्ड के विरुद्ध कोई धनराशि अवशेष / निकलती है तो तदनुसार ब्याज सहित जमा कराये जाने हेतु आप बाध्य होंगे अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
39. प्रश्नगत भूखण्ड पर शासनादेशों/ परिषद आदेशों, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक-2026 एवं अन्य सम्बन्धित नीतिविषयक निर्णयों का शत प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश एवं परिषद कार्यालय आदेश मान्य होंगे।

(डा० बलकार सिंह)

आवास आयुक्त

पृ०सं०-

/

उक्त

/

दिनांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- (द्वारा मैसेज बोर्ड)

1. सचिव, उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक, प्राधिकरण, राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, काला कंकर रोड, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007,
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, इंदिरा नगर, लखनऊ।
3. उप आवास आयुक्त, मेरठ जोन मेरठ, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता-गाजियाबाद वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
5. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वैशाली, सेक्टर-01, निकट- मैक्स हास्पिटल, गाजियाबाद।
6. उप श्रमायुक्त, लेबरसेस कार्यालय, लोहियानगर, गाजियाबाद।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
8. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा कॉम्प्लेक्स, गाजियाबाद।
9. पर्यावरण निदेशालय, आई.एन.एस.-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012
10. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 19/226, सत्यम, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

20-07-26
आवास आयुक्त

